





# फर्द अहकाम

यम 1955

एक्ट, 1955

बनाम *पुनर्जात*

*सहयोग* *जयपुर*

नाम न्यायालय

केस संख्या

*11/2019*

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>न्यायालय प्रतीक होता है आज्ञा विवादकाल                      कृषि शक्ति 21 लाख गजब संयोजी, पर 18 सहजोकेस                      22.8.80 केस का 10/15 व क्षीम व विना जयपुर                      के स्थित शक्ति (वि.नं. 32-रकबा 14 बिसवा,                      ख.नं. 33 रकबा 4 बिसवा, ख.नं. 34 रकबा                      03 बिसवा, ख.नं. 35 रकबा 08 बीघा 12 बिसवा,                      ख.नं. 37 रकबा 4 बीघा 8 बिसवा, ख.नं. 38                      रकबा 03 बिसवा, ख.नं. 161 रकबा 13 बीघा 04                      बिसवा कुल किला 07 कुल रकबा 27 बीघा 08                      बिसवा में (वलेडी) जयपुरी लखन 2046 से 2049                      के अनुसार उपपत्तों के बाद के निश्चित                      वेपार, दत्तानाका, अकुबुद्ध, अक्षीय 19वीं पत, 280                      भूजल, जल व वास मुख्यतः निपुण नहीं पाए।                      विवादात्मक कृषि के निजी भी भाग के लब्ध में लिख                      कर, निष्पादित एवं दत्ताना शक्ति निजी भी लिख कर                      कर का पजीका एवं रासीक गहीकरने व शक्ति                      विपरीत एवं मोक के अथारिधति कापी रखने                      हेतु पाठक विना आज्ञा पतावनी पर जयपुर                      अदालत जयपुरी जयपुर जयपुर जयपुर</p>

आज्ञा या कार्यवाही

सहायक कमिश्नर  
जयपुर शहर प्रख